संख्या-23/2017/80बीपी/35-1-2017

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ:दिनाक 29 अगस्त,2017

विषय:- बुन्देलखण्ड पेकेज के अर्न्तगत लघु सिचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु वर्ष 2017-18 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2016-17 में बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष शासनादेश संख्या: 04/2017/22बीपी/35-1-2017 दिनांक 27 मार्च, 2017 द्वारा निम्नांकित 02 परियोजनाओं की उनके सामने इंगित लागत के अनुसार, जिनका कुल योग रू. 64.50 करोड़ होता है, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू 39.13 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा कोई धनराशि व्यय नहीं की गई और पूर्ण धनराशि समर्पित कर दी गई। अत: इन मदों में विभागीय मांग के अनुरूप रू. 64.50 करोड (रूपये चौंसठ करोड़ पचास लाख मात्र) निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि करोड रू में)

	परियोजना की लागत	अनुमोदित लागत	वर्ष 2017-18 में विभागीय मांग	वर्ष 2017-18 में अवमुक्त धनराशि
1	पैकेज के प्रथम चरण में निर्मित ब्लास्ट/ डगवेल में लिफ्टिंग डिवाइस	28.34	28.34	28.34
2	एच.डी.पी.ई. पाइप का वितरण	36.16	36.16	36.16
	योग	64.50	64.50	64.50

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2- इस शासनादेश से कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है।
3- कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
4- प्रश्नगत कार्यों हेतु अवमुक्त की गई धनराशि का उपयोग कार्य योजनानुसार बिलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 2018 के पूर्व कर लिया जायेगा।
5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अर्थात 30 जून, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व लघु सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अंतर्गत सुसंगत मदो के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 8/2017/बी-1-1190/दस-231/2017 दिनांक 03 अगस्त 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-23/2017/80बीपी(1)/35-1-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,लेखा परीक्षा,प्रथम एवं द्वितीय इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव,लघु सिचाई विभाग।
4- प्रमुख सचिव,वित्त विभाग ।
5- निजी सचिव,मा. मुख्य मंत्री जी।
6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7- जिलाधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8- मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9- कोषाधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/महोबा/चित्रकूट ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-5
11- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देशराज सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-23/2017/80बीपी(1)/35-1-2017 दिनांक 29 अगस्त, 2017 का संलग्नक

	मद	अवमुक्त धनराशि (करोड रू में)	लेखाशीर्ष
1	पैकेज के प्रथम चरण में निर्मित ब्लास्ट/ डगवेल में लिफ्टिंग डिवाइस	28.34	2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-26-फेज-1 में निर्मित ब्लास्ट/कूपों में लिफ्टिंग डिवाइस की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
2	एच.डी.पी.ई. पाइप का वितरण	36.16	2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-27-एचडीपीई पाइप का वितरण -20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)
		64.50 (रूपये चौंसठ करोड पचास लाख मात्र)	

(देशराज सिंह)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।